न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2024/296

1. गंगाराम यादव पुत्र सन्तु राम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम हीर की बावडी, खेलना तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड
2. कृष्ण कुमार यादव पुत्र सन्तु राम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम हीर की बावडी, खेलना तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड

–अपीलांट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राज।
2. तहसीलदार जी महोदय पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राज० ।

–रेस्पोडेण्ट्स

प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1966 विरुद्ध आदेश दिनांक 07–01–2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी पावटा जयपुर के आदेश क्रमांक/प्र०शा०गा०कैम्प/2021/107 के द्वारा राजस्व नू अभिलेखो में धारा 131, 132, भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60 एच. 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राज सरकार के परिपत्र दिनांक 10–08–2016 के तहत खसरा नम्बर 1083 1081. वाके ग्राम हीर की बावडी खेलना तहसील पावटा जिला जयपुर में अवैध मोके पर चालू रास्ते के विपरीत रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदत्त किये गये।

उपस्थित–

1. श्री एन.के.यादव. वकील अपीलांट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–05.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के आदेश दिनांक 07–01–2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि वाके ग्राम हीर की बावडी तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 1248, 1249, 1100, 1101, 1099, 1081/2638, 1081, 1098, 1083, 1098/2960, 1067, 1064, 1065, 1066, 1065/1, 1056/4, 1050, 1049 किता 18 हैक्टे० भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा रास्ते प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 07.01.2022 को दिये गये

संभागीय आयुक्त जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 07–01–2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 07–01–2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस/लिखित बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम हीर की बावडी तहसील पावटा खसरा नम्बर 1081 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.62 हैक्टेयर पर अपीलार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है उपरोक्त आराजी के बाबत दीगर व्यक्तियों द्वारा नू अभिलेखित तहसीलदार जी महोदय पावटा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रास्ता निकालने का निवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार जी महोदय पावटा ने मिन अपीलार्थीगण को सूचित किये बिना ही व बिना मौके का अवलोकन किये बिना ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली बिना मौके कब्जे की वस्तुस्थिति की जांच किये बिना ही एवं बिना मिन अपीलार्थीगण को सूचित किये बिना ही अपीलार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 1081 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि गैर मु रास्ता हेतू मौके व राजस्व भू अभिलेखो में एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में किसी भी प्रकार का कच्चा अथवा पक्का रास्ता मौके पर मौजूद नही रहा है तथा नाही आज दिन तक मौके पर रास्ता मौजूद है और ना ही राजस्व भू अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में किसी भी प्रकार के रास्ते का कटान के सम्बंध अंकन मौजूद नही है । केवल मात्र खसरा नम्बर 1081 व 1098 की सीमा के मध्य काश्तकारो के आवागमन वास्ते पगड्डी मोजुद है जो कि मौसमी रास्ते से सम्बंधित है किन्तु फिर भी तहसीलदार जी महोदय पावटा द्वारा बिना मौके की जांच किये एवं बिना मिन अपीलार्थीगण व अन्य किसी भी प्रभावित होने वाले पक्षकारान को साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1081 व 1083 में लगभग 0.0250 हैक्टेयर भूमि बतौर रास्ता राजस्व भू अभिलेख व राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने हेतू अवैध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया अधिनस्थ न्यायालय ने भी मिन अपीलार्थीगण को सुने बिना एवं बिना मौके कब्जे की वस्तु स्थिति का अवलोकन किये बिना ही प्रशासन गावो के संग अभियान 2021 की अवैध आड लेकर मौके पर चालू रास्ते के विपरीत राजस्व भू अभिलेख नजरीनक्शे मे सम्पूर्ण प्रस्तावित रास्ता रकबा अपीलार्थीगण की आराजी में ही मौके पर चालू रास्ते के विपरीत समाहित कर दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार पावटा ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 04.07.2024 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है किग्राम हीर की बावडी तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नम्बर 1081 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.62 हैक्टेयर पर अपीलार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैएवंतहसीलदार पावटा द्वारा रास्ते प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश को दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि खसरा नम्बर 1081, 1083 के अपीलांट्स काबिज रिकाड्रेड खातेदार है इनको अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है जिससे यह साबित हो सके की रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा मौके पर चालू रास्ते के विपरीत राजस्व भू अभिलेख नजरीनक्शे मे सम्पूर्ण प्रस्तावित रास्ता रकबा अपीलार्थीगण की आराजी में ही समाहित कर दिया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है जबकि रास्ते के सम्पूर्ण रकबे को बराबर हिस्सा 1/2–1/2 अपीलार्थीगण एवं आमने–सामने के पडौसी खातेदारों की भूमि से भी लिया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके पर जो रास्ता कायम किया गया है वह केवल अपीलार्थीगण की खातेदारी से कायम नहीं किया जाकर रास्ते के सम्पूर्ण रकबे को बराबर हिस्सा 1/2–1/2 अपीलार्थीगण एवं आमने–सामने के पडौसी खातेदारों की भूमि से भी लिया जाकर कायम किया जावे।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।